संख्या-07/2018/218 ई-2/तेरह-2018-46/2017

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 25 जनवरी, 2018

विषय:- वर्ष 2018-19 के लिये आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-305/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19, दिनांक 12, जनवरी,2018, पत्र सं0-306/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19, दिनांक 15 जनवरी, 2018 एवं पत्र सं0-37222/दस-लाइसेंस-367/ नीति/2018-19, दिनांक 18 जनवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिये आबकारी नीति निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 के लिये आबकारी नीति का निम्नवत् निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है:-

(1) वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति:-

वर्ष 2009-10 में प्रवर्तन कार्य को प्रभावी बनाने एवं आबकारी राजस्व में अभिवृद्धि के कथित उद्देश्य से आबकारी नीति में परिवर्तन करते हुये मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं बरेली प्रभार के समस्त जनपदों को मिलाकर विशिष्ट मेरठ जोन का गठन किया गया था। इसके अन्तर्गत देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के व्यवस्थापन की प्रक्रिया को प्रदेश के शेष जोन की प्रक्रिया से भिन्न रखा गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि विशिष्ट जोन की दुकानों का अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रण वाली शीर्ष सहकारी संस्थाओं/निगम को आवेदन के उपरान्त दिया जायेगा। ऐसी संस्थाओं को ज्वाइंट वेंचर भागीदारी में भी आवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था अनुमन्य की गयी थी। वर्ष 2010-11 में उक्त विशिष्ट जोन के अन्तर्गत दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण द्वारा किया गया था। वर्ष 2011-12 में इस व्यवस्था में किंचित परिवर्तन कर आवेदकों की परिधि को शीर्ष सहकारी संस्था एवं निगम से बढ़ाकर इसके अन्तर्गत पार्टनरशिप फर्म व कम्पनी को भी सम्मिलित कर लिया गया था।

विशिष्ट जोन मेरठ में वर्ष 2010-11 में दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से तथा वर्ष 2011-12 में सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया गया। तत्पश्चात् विशिष्ट जोन मेरठ के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक नवीनीकरण के माध्यम से दुकानें व्यवस्थित की गयी। इस क्षेत्र में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2016-17 तक तथा वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर, 2017 तक राजस्व प्राप्तियों से स्पष्ट है कि विशिष्ट जोन में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वर्ष 2011-12 में 25.84 प्रतिशत तथा वर्ष 2016-17 में न्यूनतम 3.08 प्रतिशत रही है, जबकि 07 वर्षों में औसत वृद्धि 13.97 प्रतिशत रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में प्राप्त वृद्धि औसत की तुलना में बहुत कम है। उक्त स्थिति से यह विदित होता है कि विशिष्ट जोन की व्यवस्था पूर्णतः अप्रासंगिक हो चुकी है तथा राजस्व हित में इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

विशिष्ट जोन में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के व्यवस्थापन की प्रक्रिया में उपरोक्त परिवर्तन के साथ-साथ वर्ष 2009-10 में देशी शराब के थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन करते हुये जोनवार अनुज्ञापन(सी0एल0-1बी) स्वीकृत किये जाने का निर्णय लेते हुये जोन के अनुज्ञापी को प्रत्येक जनपद में थोक अनुज्ञापन(सी0एल0-1सी) खोलना अनिवार्य किया गया था। इससे पूर्व देशी मदिरा निर्माता आसवनियों को तथा कतिपय वर्ष में व्यक्तियों (शासन की पूर्वानुमति से) को देशी शराब के थोक बिक्री का अनुज्ञापन जनपदवार स्वीकृत किया जाता रहा है। पहले से चली आ रही व्यवस्था में उपर्युक्त परिवर्तन आबकारी राजस्व में अपेक्षित वृद्धि प्राप्ति करने के कथित उद्देश्य से की गयी थी, परन्तु वर्ष 2015-16 व 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों में मात्र 2.9 प्रतिशत की औसत वृद्धि प्राप्त होने से स्पष्ट है कि विशिष्ट जोन के फुटकर अनुज्ञापनों की व्यवस्थापन प्रणाली तथा देशी शराब के थोक अनुज्ञापनों के जोन वार अनुज्ञापन की व्यवस्था अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। अतः इस व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। इस क्रम में वर्ष 2018-19 के लिये व्यवस्थापन हेतु विशिष्ट जोन के गठन संबंधी नियमावली को निरसित करने तथा देशी शराब सहित विभिन्न प्रकार के समस्त थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन से संबंधित नियमावलियों में यथोचित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(2) उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

1 देशी शराब

1.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीसः-

वर्ष 2017-18 के लिये प्रोसेसिंग फीस की दर रु0 11000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी। विभाग में आन-लाइन व्यवस्था लागू करने एवं ढांचागत विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में गम्भीर एवं वास्तविक आवेदकों को ही सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने तथा अवास्तविक एवं अक्षम व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये प्रासेसिंग फीस बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के लिये रु0 15000/- प्रति आवेदन पत्र किया जाता है तथा इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी/वैट नियमानुसार वसूल किया जायेगा।

1.2 देशी शराब की श्रेणियां, धारिता गुणवत्ता, मूल्य निर्धारणः-

(क) वर्ष 2017-18 में देशी शराब की तीव्रता के आधार पर निम्नानुसार चार श्रेणियां प्रचलित हैः-

1- 42.8 प्रतिशत वी/वी (मसाला)

2- 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- 28 प्रतिशत वी/वी (सादा व मसाला)

4- 25 प्रतिशत वी/वी (मसाला) (विशेष श्रेणी)

इनमें से 42.8 प्रतिशत वी/वी व 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी शराब की बिक्री सर्वाधिक होती है। अतः इन दोनों श्रेणियों की देशी मदिरा का प्रचलन वर्ष 2018-19 में रखा जाएगा। 25 प्रतिशत वी/वी व 28 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मदिरा में तीव्रता का मामूली अन्तर होने के कारण 25 प्रतिशत वी/वी विशेष श्रेणी तथा 28 प्रतिशत तीव्रता की देशी शराब को समाप्त करते हुये इन दोनों के स्थान पर मात्र 25 प्रतिशत तीव्रता की देशी शराब रखा जाएगा तथा इसकी विशेष श्रेणी को समाप्त कर इस मदिरा पर भी समानुपातिक दर से प्रतिफल शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। 25 प्रतिशत तीव्रता का विक्रय मूल्य सबसे कम होने के कारण यह अवैध शराब से प्रतिस्पर्धा कर उसकी बिक्री को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार उपभोक्ताओं की पसन्द को देखते हुये वर्ष 2018-19 हेतु तीन श्रेंणियों 42.8 प्रतिशत वी/वी (मसाला), 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला) व 25 प्रतिशत वी/वी (मसाला/सादा) को प्रचलन में रखा जाएगा।

(ख) पूर्व वर्षों में देशी शराब की 750 मिली0, 375 मिली0, 250 मिली0, 200 मिली0, 180 मिली0,150 मिली0 एवं 100 मिली0 की धारिताओं में विभिन्न तीव्रता के लिये देशी शराब की बिक्री अनुमन्य की गयी थी। 200 मिली0 धारिता में ही सर्वाधिक बिक्री होने के कारण वर्ष 2018-19 में मात्र 200 मि0ली0 की धारिता में ही देशी शराब की बिक्री को अनुमन्य किया जाएगा।

(ग) देशी मदिरा की तीव्रता की उपरोक्त तीनों श्रेणियों के लिये वर्ष 2017-18 की भांति वर्ष 2018-19 हेतु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की स्वीकृति से, भिन्न-भिन्न रंगों के कैप्स व लेबुलों के बार्डर निर्धारित प्रतिबंधों के साथ बनाये रखा जाएगा।

(घ) वर्ष 2017-18 की भांति वर्ष 2018-19 हेतु प्रदेश में केवल एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 हेतु उक्त श्रेणियों की देशी मदिरा के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य **संलग्नक-1** के अनुसार होगा।

1.3 <u>देशी शराब का एम.जी.क्यू.(न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity)</u>

देशी शराब की दुकानों के लिये बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस की देयता का आगणन उसके एम0जी0क्यू0 के आधार पर किया जाता है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गो पर स्थित मदिरा की काफी संख्या में दुकानें वर्ष के प्रारम्भ से संचालित नहीं हो पायीं। ऐसी दुकानों में से कुछ दुकानें स्थानान्तरित करके संचालित करा दी गयीं, परन्तु काफी संख्या में दुकानों का संचालन संभव नहीं हो पाने के कारण वर्ष 2017-18 में पूर्व वर्ष के व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 पर समुचित वृद्धि प्राप्त नहीं हो पायी। ऐसी स्थिति में वर्ष 2018-19 के लिये एम0जी0क्यू0 के निर्धारण हेतु वर्ष 2017-18 के लिये निर्धारित एम0जी0क्यू0 33.52 करोड़ बल्क लीटर पर 08 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 हेतु एम0जी0क्यू0 36.20 करोड़ बल्क लीटर आगणित होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1.4 <u>देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीस:-</u>

वर्ष 2017-18 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की दर रु0 25 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) निर्धारित हैं, जो वर्ष 2015-16 के पश्चात से बढ़ायी नहीं गयी है। वर्ष 2018-19 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस में रु0 3 प्रति बल्क लीटर की दर से वृद्धि करते हुये रु0 28 प्रति बल्क लीटर किया जाता है। पूर्व वर्षों में एम0जी0क्यू0 से अधिक देशी शराब की निकासी पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस ली जाती रही है। अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस जमा करने की अनिवार्यता से, अतिरिक्त उठान हेतु प्रायः अनुज्ञापी तैयार नहीं होते हैं तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अवैध माध्यमों से देशी शराब की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, जिससे अतिरिक्त निकासी पर देय प्रतिफल शुल्क की हानि होती है। इससे प्रति बल्क लीटर रु0 25 बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली के प्रयास में रु0 226 प्रति बल्क लीटर प्रतिफल शुल्क से राज्य सरकार को वंचित होना पड़ रहा है। अतः वर्ष 2018-19 हेतु एम0जी0क्यू0 से अतिरिक्त निकासी लिये जाने पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस की देयता को समाप्त किया जाता है। इस पर प्रचलित दर से मात्र प्रतिफल शुल्क की वसूली की जायेगी। इससे अनुज्ञापी देशी मदिरा के अतिरिक्त उठान हेतु प्रोत्साहित होंगे जो अंततः व्यापक राजस्व हितों के अनुकूल होगा।

1.5 <u>देशी शराब की लाइसेंस फीस/प्रतिफल फीस:-</u>

वर्ष 2017-18 में देशी शराब पर प्रतिफल फीस रुपये 226 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी) निर्धारित हैं। अवैध मद्य निष्कर्षण से तैयार की जाने वाली सस्ती मदिरा के प्रचलन पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा पड़ोसी राज्यों से सस्ती मदिरा की तस्करी को रोकने हेतु देशी मदिरा के मूल्यों में कमी किये जाने/स्थिर रखने के उद्देश्य से देशी मदिरा के प्रतिफल शुल्क में रु0 04 प्रति बल्क लीटर की दर से कमी करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु प्रतिफल फीस रु0 222 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 हेतु देशी शराब की प्रतिफल फीस की दरें निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं:-

क्र0सं0	देशी शराब की श्रेणी/तीव्रता	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस की दर (रु0 प्रति बल्क लीटर)	वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस की दर (रु0 प्रति बल्क लीटर)
1	42.8 प्रतिशत वी/वी के रुप में	268.69	263.94
2	36 प्रतिशत वी/वी के रुप में	226.00	222.00
3	28 प्रतिशत वी/वी के रुप में	175.78	अप्रस्तावित
4	25 प्रतिशत वी/वी के रुप में (विशेष श्रेणी)	72.00	अप्रस्तावित
5	25 प्रतिशत वी/वी के रुप में (सादा/मसाला)	---	154.17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1.6 <u>देशी शराब की दुकानों का सृजनः-</u>

अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री की रोकथाम तथा असेवित क्षेत्रों में मानक गुणवत्ता की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्ष 2017-18 हेतु 15 प्रतिशत नई दुकानों के सृजन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त था तथा 15 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता होने पर शासन की स्वीकृति से दुकानों का सृजन किये जाने की व्यवस्था रही है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिका संख्या 4272 (पी0आई0एल0)/2017 भारतीय युवा शक्ति कल्याण समिति बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-03-2017 में मा0 न्यायालय द्वारा निम्न मत अवधारित किया गया है:-

> "…….Consequently, the Article-47 may not be remedy under Article-226 of the Constitution of India but the State is under an obligation to frame laws in order to achieve the goal of Article-47 of the Constitution of India as observed in decision aforesaid."

अतः मा0 न्यायालय के उक्त आदेश का समादर करने हेतु तथा नई दुकानों के खुलने से पिछले वर्ष हुये व्यापक जनविरोध की स्थिति को देखते हुये वर्ष 2018-19 में दुकानों के सृजन को पूर्व वर्षों की तुलना में नियंत्रित जाएगा तथा इस क्रम में वर्तमान वर्ष में देशी शराब की व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के मात्र 10 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को दिया जाता है।

नवसृजित देशी शराब की दुकानों के वर्ष 2017-18 के निर्धारित न्यूनतम एम.जी.क्यू. को वर्ष 2018-19 हेतु यथावत रखा जाता है:-

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित न्यूनतम एम.जी.क्यू. ब0ली0 में	वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम एम.जी.क्यू. ब0ली0 में
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	26600	26600
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	19000	19000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	11500	11500
4	ग्रामीण	6600	6600

देशी शराब की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1.7 <u>बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की देयतायें:-</u>

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जनपद की देशी मदिरा की दुकानों के लिये निर्धारित किये गये वार्षिक एम0जी0क्यू0 को, वर्ष 2017-18 में संचालित रहीं देशी मदिरा दुकानों और वर्ष 2018-19 में संचालित हो सकने वाली दुकानों पर युक्ति-युक्त ढंग से आवंटित किया जायेगा। इस प्रकार कतिपय जनपदों में देशी मदिरा की ऐसी दुकानें जो 2017-18 में वर्ष पर्यन्त संचालित नहीं हो सकीं अथवा जिनका व्यवस्थापन नहीं हो सका तथा जिनके वर्ष 2018-19 में व्यवस्थित/संचालित हो सकने की संभावना नहीं है, को समाप्त समझा जायेगा। इस आवंटन के दौरान किसी दुकान के एम0जी0क्यू0 में 20 प्रतिशत से अधिक का विचलन अनुमन्य नहीं होगा। इस प्रकार आगणित दुकानवार वार्षिक एम0जी0क्यू0 पर 8 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, एम0जी0क्यू0 के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ाकर निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार आगणित एम0जी0क्यू0 दुकान का वर्ष 2018-19 के लिये वार्षिक एम0जी0क्यू0 होगा। दुकानों के एम0जी0क्यू0 को युक्तियुक्त करते हुये यह ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दुकान का एम0जी0क्यू0 उसकी प्रास्थिति हेतु नवसृजित दुकानों के न्यूनतम एम0जी0क्यू0 से कम न हो अर्थात किसी भी दुकान का एम0जी0क्यू0 उपर्युक्त प्रस्तर 1.6 में निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 से कम नहीं होगा। यह एम0जी0क्यू0 36 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में होगा। इसका उद्देश्य मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना होगा।

उपरोक्तानुसार किसी देशी मदिरा दुकान के लिये वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 के आधार पर उसकी बेसिक लाइसेंस फीस की गणना की जायेगी। एम0जी0क्यू0 से अधिक देशी शराब की निकासी उठाने पर अतिरिक्त निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस, अतिरिक्त रुप से देय नहीं होगी, परन्तु किसी माह में एम0जी0क्यू0 से अधिक उठायी गयी देशी शराब पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।

1.8 <u>देशी मदिरा पर अतिरिक्त प्रतिफल फीस लिया जाना:-</u>

वर्ष 2017-18 में देशी शराब के आप्टिमम रिटेल प्राइस में रुपये के बढ़े हुये अंश (पैसे) को अगले रुपये में राउण्ड आफ कर एम.आर.पी. निर्धारित की जाती है। विगत वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि 5 रुपये के गुणक में एम0आर0पी0 न होने के कारण फुटकर विक्रेता द्वारा क्रेता को रेजगारी की कमी बताते हुये अतिरिक्त धनराशि वापस नहीं किये जाने से ओवररेटिंग की शिकायतें यदाकदा प्राप्त होती रहती है। ओवररेटिंग की इस समस्या के निदान हेतु वर्ष 2018-19 हेतु आप्टिमम रिटेल प्राइस को बढ़ाकर देशी मदिरा की एम0आर0पी0 5 के गुणक में निर्धारित की जाती है। अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में आसवनी स्तर पर ही वसूल कर लिया जाय। अतिरिक्त प्रतिफल फीस की यह धनराशि आसवनी द्वारा थोक अनुज्ञापी से एक्स फैक्ट्री प्राइस के अलावा वसूली योग्य होगी तथा थोक अनुज्ञापी द्वारा फुटकर अनुज्ञापी से अधिकतम थोक मूल्य (एम0डब्ल्यू0पी0) के अलावा वसूल की जा सकेगी।

इस प्रकार वसूली गयी अतिरिक्त प्रतिफल फीस की धनराशि देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी की लाइसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1.9 <u>देशी शराब दुकानों का वर्ष 2019-2020 हेतु नवीनीकरण</u>:-

देशी शराब की फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों द्वारा निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 से 06 प्रतिशत अथवा उससे अधिक निकासी लिये जाने की स्थिति में वर्ष 2019-2020 हेतु तत्समय निर्धारित शर्तो व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहें तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जाएगी।

1.10 <u>देशी शराब की थोक आपूर्ति हेतु अनुज्ञापी का चयन</u>:-

ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि सी0एल0-1बी व सी0एल0-1सी अनुज्ञापनों के माध्यम से देशी शराब की आपूर्ति की व्यवस्था से परोक्ष रुप से एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है तथा इस व्यवस्था से प्रदेश की पेय मदिरा निर्माता कुछ आसवनियों को उनके उत्पाद के खरीददार न होने से रुग्णता की स्थिति में पहुंचती जा रही हैं एवं उपभोक्ताओं को उनकी पसन्द के अनुसार देशी शराब की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अतः वर्ष 2018-19 हेतु सी0एल0-1बी व सी0एल0-1सी अनुज्ञापनों के माध्यम से देशी शराब की आपूर्ति की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है तथा जनपद में देशी शराब की आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने हेतु एक अथवा एक से अधिक अनुज्ञापन (सी0एल0-2) स्वीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 हेतु प्रदेश की देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को किसी जनपद/जनपदों में देशी शराब की थोक आपूर्ति हेतु अनुज्ञापन (सी0एल0-2) स्वीकृत किया जाएगा। यह अनुज्ञापन ऐसे व्यक्ति को भी दिया जाएगा, जो निम्न अर्हताएं रखते हों:-

(क) भारत का नागरिक हो,

या

भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हों, जो भारत के नागरिक हों। लाइसेंस प्रदान किये जाने के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिये अनुज्ञापी बने रह सकते हैं। यदि संयुक्त रुप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के उत्तराधिकारी, यदि अन्यथा पात्र हों, के साथ अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी, यदि अन्यथा पात्र हों, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते है। भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रुप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हों,

(ग) बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो।

(घ) राज्य में देशी शराब या विदेशी मदिरा का कोई फुटकर अनुज्ञापन न रखता हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ङ) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र का धारक हो तथा उसकी हैसियत संबंधित अनुज्ञापन के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम न हो।

(च) आयकर दाता हो तथा अनुज्ञापन से पूर्व वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत की गयी हो।

(छ) आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया हो।

(ज) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हो:-

(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली,1968 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

(दो) यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 या स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी अधिनियम,1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नही किया गया है।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला जहां का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता के रूप मे नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला है।

(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

(सात) यह है कि ऋणशोधनक्षम, है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

1.11 <u>देशी शराब की थोक आपूर्ति हेतु प्रोसेसिंग फीस एवं अनुज्ञापन शुल्कः</u>-

वर्ष 2018-19 हेतु सी0एल0-2 अनुज्ञापन जनपदवार स्वीकृत किये जायेंगे। आवेदक को अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ रू0 50,000 प्रोसेसिंग फीस के रुप में तथा इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी/वैट नियमानुसार लिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

देशी शराब की थोक आपूर्ति हेतु लइसेंस फीस के संबंध में दो श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं। इनमें कम एम0जी0क्यू0 वाले निम्न जनपदों की लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि वर्ष या उसके किसी भाग के लिये निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2018-19 के लिये सी0एल0-2 अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस (रुपये में)	वर्ष 2018-19 के लिये प्रतिभूति धनराशि (रुपये में)
1	कौशाम्बी	7,00,000/-	70,000/-
2	अमेठी	15,00,000/-	1,50,000/-
3	श्रावस्ती	8,00,000/-	80,000/-
4	चित्रकूट	10,00,000/-	1,00,000/-

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों हेतु सी0एल0-2 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि वर्ष या उसके किसी भाग के लिये क्रमश: रु0 20,000,00/- व रु0 2,000,00/- निर्धारित किया जायेगा।

अन्य व्यवस्थायें निम्नवत् रहेंगी:-

1. जिन जनपदों हेतु सी0एल0-2 अनुज्ञापन व्यवस्थित नहीं हो पायेंगे, उन जनपदों हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा निकटतम किसी अन्य जनपद/जनपदों के सी0एल0-2 अनुज्ञापी को सम्बद्ध किया जायेगा। इस हेतु सम्बद्ध किये गये सी0एल0-2 अनुज्ञापन द्वारा आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस को मासिक रूप से 1/12 भाग के रूप में आपूर्ति प्राप्तकर्ता जनपद में अग्रिम जमा की जायेगी।
2. आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद का सम्बद्धीकरण आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अंदर आपूर्तिकर्ता सी0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। उसके बाद आगामी माह के लिये सम्बद्धीकरण आदेश प्रभावी रहने की स्थिति में उक्त माह के लिये मासिक लाइसेंस फीस सम्बन्धित माह के प्रथम कार्य दिवस को जमा करायी जायेगी।
3. आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापियों द्वारा उक्त निर्धारित लाइसेंस फीस समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी और सबंधित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उक्त लाइसेंस फीस मदिरा की निकासी से पूर्व आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापी द्वारा जमा कर दी गयी है। जिला आबकारी अधिकारी अतिरिक्त लाइसेंस फीस की जमा के विवरण सहित सूचना संबंधित ट्रेजरी चालान/ई-चालान की प्रमाणित प्रति के साथ माह की 05वीं तिथि तक आयुक्तालय तथा संबंधित संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. आपूर्तिकर्ता सी0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा उक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस, देशी मदिरा प्राप्त करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों से अतिरिक्त रूप से वसूल नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. अनुज्ञापी को अनुज्ञापित परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से मुख्यालय से देखा जा सके, लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापी को गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारुपों में सूचना संकलित करना एवं उसका आदान-प्रदान सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

6. अनुज्ञापी को ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

1.12 <u>देशी शराब की आपूर्ति:-</u>

वर्ष 2017-18 में देशी शराब की आपूर्ति निम्नवत् तीव्रता एवं धारिता में कांच/पेट बोतलों में किये जाने का प्राविधान है:-

क्र0सं0	देशी शराब की श्रेणी	धारिता (एम0एल0 में)					
1	**42.8 % v/v**	750	375	250	200	180	100
2	**36 % v/v**	750	375	250	200	...	100
3	**28% v/v**	750	375	250	200	150	100
4	**25% v/v**	200					

प्रदेश में देशी मदिरा का उपभोग मुख्यतः 42.8 प्रतिशत तीव्रता (**45.1%**), 36 प्रतिशत (**36.4%**) एवं 28 प्रतिशत (**18.5%**) की तीव्रता में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश बिक्री 200 एम0एल0(**67.1%**) की बोतलों में की जाती है। अतः वर्ष 2018-19 हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति 42.8 प्रतिशत तीव्रता, 36 प्रतिशत तीव्रता एवं 25 प्रतिशत तीव्रता (मसाला/सादा) में मात्र 200 एम0एल0 की धारिता वाली कांच/पेट बोतलों में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पेट बोतलों की रिसाइकलिंग हेतु सालिड वेस्ट मैंनेजमेन्ट रुल्स, 2016 के नियमों के अन्तर्गत पेट बोतलों में भराई एवं आपूर्ति करने वाली इकाई को इसके अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इससे भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान को भी बल मिलेगा।

1.13 <u>देशी शराब के ब्राण्डों की रजिस्ट्रेशन फीस</u>

देशी शराब के ब्राण्डों की वर्ष 2017-18 में निर्धारित ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रु0 40000/- प्रति ब्राण्ड में रु0 10000 की वृद्धि करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु रू0 50,000 प्रति ब्राण्ड निर्धारित किया जाता है।

1.14 <u>देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदन</u>

देशी शराब के लेबुल अनुमोदन फीस वर्ष 2017-18 में निर्धारित रु0 40,000/- प्रति ब्राण्ड में रु0 10,000 की वृद्धि करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु रू0 50,000 प्रति ब्राण्ड निर्धारित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1.15 देशी शराब की निर्यात/आयात पास फीस

वर्ष 2018-19 हेतु देशी शराब की निर्यात पास फीस को पूर्व की भांति रु0 10/- प्रति ए0एल0 यथावत रखते हुये आयात फीस न लिये जाने की व्यवस्था की जाती है।

2 विदेशी मदिरा

2.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीसः-

वर्ष 2017-18 के लिये प्रोसेसिंग फीस की दर रु0 11000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी। विभाग में आन-लाइन व्यवस्था लागू करने एवं ढांचागत विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में गम्भीर एवं वास्तविक आवेदकों को ही सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने तथा अवास्तविक एवं अक्षम व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये प्रासेसिंग फीस बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के लिये रु0 15000/- प्रति आवेदन पत्र किया जाता है। इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी/वैट नियमानुसार वसूल की जाएगी।

2.2 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2018-19 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस वर्ष 2017-18 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु0 5000 गुणक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु0 5000 के अगले स्तर पर राउण्ड आफ करके निर्धारित की जायेगी, परन्तु प्रतिबंध होगा कि यह लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति की नवसृजित दुकान के लिये निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

2.3 विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजनः-

अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री की रोकथाम तथा असेवित क्षेत्रों में मानक गुणवत्ता की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्ष 2017-18 हेतु 15 प्रतिशत नई दुकानों के सृजन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त था तथा 15 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता होने पर शासन की स्वीकृति से दुकानों का सृजन किये जाने की व्यवस्था रही है। दुकानों के खुलने से होने वाले जनविरोध की स्थिति को देखते हुये वर्ष 2018-19 में इसे घटाकर विदेशी मदिरा की वर्तमान वर्ष में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 10 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को दिया जाता है।

वर्ष 2018-19 हेतु नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान
1	2	3	4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	9,85,000/-	9,85,000/-
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	3,35,000/-	3,35,000/-
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	1,60,000/-	1,60,000/-
4	ग्रामीण	85,000/-	85,000/-

विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.4 <u>विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापनों का नवीनीकरण:-</u>

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों में वर्ष 2018-19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रतिफल शुल्क होने की स्थिति में वर्ष 2019-2020 हेतु तत्समय निर्धारित शर्तों व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहें तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जाएगी।

2.5 <u>विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण:-</u>

उत्पादक आसवनियों द्वारा अपने ब्राण्ड हेतु घोषित एक्स डिस्टिलरी प्राइस (ई0डी0पी0) पर सतर्क दृष्टि रखने तथा फुटकर दुकानों की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुये विदेशी मदिरा के मूल्य निर्धारण के सूत्र वर्ष 2018-19 हेतु निम्नवत निर्धारित किये जाते हैं-

<u>भारत निर्मित विदेशी मदिरा(आई0एम0एफ0एल0) की प्रतिफल फीस, मार्जिन एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण</u>

क्र0 सं0	ई0डी0पी0 की श्रेणी प्रति बोतल (750एम0एल0) (E)	श्रेणी का नाम	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750एम0एल0) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM)	एम0आर0पी0 का सूत्र
1	2	3	4	5	6	7
1	0 से 70 तक	इकोनामी	रू0 240 + ई0डी0पी0 का 75%	रू0 3.75 + ई0डी0पी0 का 3.00%	रू0 60 + ई0डी0पी0 का 20%	कालम **2+4+5+6** का योग
2	70 से अधिक, 125 तक	मीडियम	रू0 260 + ई0डी0पी0 का 82%	रू0 4.00 + ई0डी0पी0 का 2.80%	रू0 60 + ई0डी0पी0 का 20%	कालम **2+4+5+6** का योग
3	125 से अधिक, 250 तक	रेगुलर	रू0 260 + ई0डी0पी0 का 83%	रू0 4.00 + ई0डी0पी0 का 2.80%	रू0 75 + ई0डी0पी0 का 10%	कालम **2+4+5+6** का योग
4	250 से अधिक, 400 तक	प्रीमियम	रू0 270 + ई0डी0पी0 का 85%	रू0 4.75+ ई0डी0पी0 का 2.50%	रू0 75 + ई0डी0पी0 का 10%	कालम **2+4+5+6** का योग
5	400 से अधिक, 600 तक	सुपर प्रीमियम	रू0 280 + ई0डी0पी0 का 105%	रू0 4.75+ ई0डी0पी0 का 2.50%	रू0 85 + ई0डी0पी0 का 7.5%	कालम **2+4+5+6** का योग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	600 से अधिक	स्काच	रू0 290 + ई0डी0पी0 का 105%	रू0 4.75+ ई0डी0पी0 का 2.50%	रू0 85 + ई0डी0पी0 का 7.5%	कालम **2+4+5+6** का योग

नोटः-

1. विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई0डी0पी0 कास्ट एकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में घोषित न्यूनतम ई0डी0पी0 के समतुल्य अथवा उससे कम है। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि जांच में शपथ पत्र में किये गये अभिकथन असत्य पाये जाने पर ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. 750 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु प्रतिफल फीस का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों हेतु समानुपातिक रुप से प्रतिफल फीस का आगणन किया जायेगा।
3. 750 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु थोक/फुटकर विक्रेता के मार्जिन का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों हेतु समानुपातिक रुप से मार्जिन का आगणन किया जायेगा।
4. 750 एम0एल0 की बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में बोतल, लेबुल व पी.पी.कैप के मूल्यों का अधिभार अधिक पड़ने के दृष्टिगत बोतल (750 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये आसवनी द्वारा प्रस्तुत एक्स आसवनी मूल्य (ई0डी0पी0) में 375 एम0एल0 की धारिता हेतु रु0 2 तथा अन्य धारिताओं यथा 180 एम0एल0, 90 एम0एल0 व 60एम0एल0 के एम0आर0पी0 निर्धारण हेतु रु0 3, बढ़ाकर किया जाता है, अर्थात आसवनी द्वारा प्रस्तुत प्रति बोतल (750 एम0एल0) ई0डी0पी0 में उपरोक्तानुसार रु0 2 /रु0 3 जोड़कर 375 एम0एल0/180 एम0एल0 एवं उससे कम धारिता की बोतलों हेतु समानुपातिक (750 एम0एल0 धारिता की बोतल में बन रही छोटी धारिताओं की बोतलों की पूर्ण संख्या के अनुसार) रुप से ई0डी0पी0 का आगणन किया जायेगा।
5. विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (एम0आर0पी0) का आगणन उपरोक्त सूत्र के अनुसार किये जाने पर यदि रु0 10 के गुणांक में नहीं प्राप्त होता है, तो उसे 10 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा, तथा अन्तर की धनराशि अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में देय होगी।

2.6 <u>विदेशी मदिरा का ई0एन0ए0 से निर्माणः-</u>

वर्ष 2008-09 की आबकारी नीति में विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई0एन0ए0 से करने की व्यवस्था प्रभावी की गयी थी । यह व्यवस्था अद्यतन भी प्रचलित है, जिसे वर्ष 2018-19 में भी यथावत रखा जाता है।

2.7 <u>विदेशी शराब की थोक आपूर्तिः-</u>

(क) <u>एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापनः-</u>

विदेशी मदिरा के थोक बिक्री के लाइसेंस (एफ0एल0-2) जनपदवार स्वीकृत किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) <u>एफ0एल0-2 अनुज्ञापन की प्रोसेसिंग फीस एवं अनुज्ञापन शुल्क:-</u>

वर्ष 2018-19 हेतु एफ0एल0-2 अनुज्ञापन जनपदवार स्वीकृत किये जायेंगे। आवेदक को अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ रू0 50,000 प्रोसेसिंग फीस के रुप में तथा इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी/वैट नियमानुसार लिया जाएगा।

एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2017-18 की लाइसेंस फीस का निर्धारण उनकी पूर्व वर्ष में बिक्री की मात्रा के आधार पर किया गया था। इससे विभिन्न जनपदों की अलग-अलग लाइसेंस फीस निर्धारित होती थी। इस व्यवस्था को समाप्त करके इसके स्थान पर वर्ष 2018-19 हेतु विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस की 03 श्रेणियां निम्नवत निर्धारित की जाती हैं:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	लाइसेंस फीस प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)
1	वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा	25.0	2.50
2	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ, देवरिया, कुशीनगर, बरेली, मुरादबाद, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हाथरस, फिरोजाबाद।	20.0	2.00
3	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपद	15.0	1.50

(1) आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र का धारक हो तथा उसकी हैसियत संबंधित अनुज्ञापन के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम न हो।

(2) आवेदक आयकर दाता हो तथा अनुज्ञापन से पूर्व वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत की गयी हो।

(3) आवेदक द्वारा आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया हो।

(ग) <u>एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को विदेशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस-</u>

एफ0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद को विदेशी मदिरा की आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करने तथा उसे जमा करने की वर्ष 2017-18 की प्रक्रिया को वर्ष 2018-19 के लिये निम्न प्रतिबन्धों के साथ यथावत बनाये रखा जाता है:-

1. जिन जनपदों हेतु एफ0एल0-2 अनुज्ञापन व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, उन जनपदों हेतु विदेशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निकटतम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किसी अन्य जनपद के एफ0एल0-2 अनुज्ञापी को सम्बद्ध किया जायेगा। इस हेतु सम्बद्ध किये गये एफ0एल0-2 अनुज्ञापन से संबंधित जनपद की लाइसेंस फीस अतिरिक्त रुप से वसूली जायेगी जो आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद में मासिक रूप से 1/12 भाग के रूप में अग्रिम जमा की जायेगी।

2. आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद का सम्बद्धीकरण आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अंदर आपूर्तिकर्ता एफ0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। उसके बाद आगामी माह के लिये सम्बद्धीकरण आदेश प्रभावी रहने की स्थिति में उक्त माह के लिये मासिक लाइसेंस फीस सम्बन्धित माह के प्रथम कार्य दिवस को जमा करायी जायेगी।
3. आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापियों द्वारा उक्त निर्धारित लाइसेंस फीस समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी और सबंधित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चत कर लें कि उक्त लाइसेंस फीस मदिरा की निकासी से पूर्व आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापी द्वारा जमा कर दी गयी है। जिला आबकारी अधिकारी अतिरिक्त लाइसेंस फीस की जमा के विवरण सहित सूचना संबंधित ट्रेजरी चालान/ई-चालान की प्रमाणित प्रति के साथ माह की 05वीं तिथि तक आयुक्तालय तथा संबंधित संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
4. आपूर्तिकर्ता एफ0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा उक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस, विदेशी मदिरा प्राप्त करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों से अतिरिक्त रूप से वसूल नहीं की जायेगी।
5. अनुज्ञापी को अनुज्ञापित परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से मुख्यालय से देखा जा सके, लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापी को गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारुपों में सूचना संकलित करना एवं उसका आदान-प्रदान सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
6. अनुज्ञापी को ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

(घ) <u>समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा/बीयर की थोक बिक्री के एफ0एल0-2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः-</u>

वर्ष 2017-18 में एफ0एल0-2डी अनुज्ञापनों की निर्धारित लाइसेंस फीस रूपये 5,00,000 वार्षिक प्रति अनुज्ञापन को वर्ष 2018-19 हेतु यथावत निर्धारित किया जाता है।

2.8 एफ0एल0-9/9ए अनुज्ञापनों (सैन्य कैन्टीन में विदेशी मदिरा की बिक्री एफ0एल0-9 अनुज्ञापन से तथा रियायती रम एफ0एल0-9ए के माध्यम से आपूर्ति की जाती है।) के माध्यम से <u>आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल फीसः-</u>

वर्ष 2017-18 के लिये एफ0एल0-9/9ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस विदेशी मदिरा हेतु रु0 24.40 प्रति बोतल (750 एम0एल0) तथा बीयर हेतु रु0 5.30 प्रति बोतल (650 एम0एल0) निर्धारित है। विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस में वर्ष 2018-19 हेतु 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। अतः एफ0एल0-9/9ए के अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये अगले रुपये में राउण्ड आफ कर वर्ष 2018-19 हेतु विदेशी मदिरा के लिये रु0 27.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रति बोतल (750 एम0एल0) तथा बीयर के लिये रु0 6.00 प्रति बोतल (650 एम0एल0) लाइसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

एफ0एल0-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस गत वर्षों की भांति सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस की आधी धनराशि के आरोपण की व्यवस्था को वर्ष 2018-19 हेतु यथावत रखा जाता है।

2.9 <u>एफ0एल0-9ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत रियायती रम की ई0डी0पी0:-</u>

वर्ष 2017-18 हेतु "इकोनोमी श्रेणी" में ई0डी0पी0 रु0 0 से 100 तक निर्धारित है। अतः वर्ष 2018-19 हेतु एफ0एल0-9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इसी इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई0डी0पी0 रु0 0 से 70 तक के अनुसार किया जाता है।

2.10 <u>भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः-</u>

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2017-18 हेतु रू0 70,000.00 प्रति ब्राण्ड निर्धारित है। उक्त ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस में रु0 5,000.00 की वृद्धि करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रु0 75,000.00 प्रति ब्राण्ड निर्धारित की जाती है।

2.11 <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः-</u>

वर्ष 2017-18 में अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस प्रति ब्राण्ड रु0 30000/- निर्धारित है। उक्त ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस में रु0 45,000 की वृद्धि करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस भारत निर्मित विदेशी मदिरा के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन के समतुल्य रु0 75,000 प्रति ब्राण्ड निर्धारित की जाती है।

2.12 <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधानः-</u>

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की बोतलों पर वर्ष 2017-18 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने हेतु निम्न प्रकार व्यवस्था अनुमन्य हैः-

1. आयातित मदिरा की बोतलों पर न्यूनतम 70 मिलीमीटर **X 35** मिलीमीटर साइज का सफेद रंग का स्टिकर चस्पा किया जायेगा।
2. उक्त स्टिकर पर सामान्य स्वस्थ आंखों से स्पष्ट पठनीय काले रंग के अक्षरों में अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (एम0आर0पी0), **"Consumption of Liquor is Injurious to Health"** तथा आयातक व वितरक का नाम व पूर्ण पता अंकित किया जायेगा।
3. उक्त स्टिकर पर लाल रंग से न्यूनतम 3 मिलीमीटर साइज के अक्षरों **"For Sale in Uttar Pradesh only"** विकर्णवत (**Diagonally)** अंकित किया जायेगा।

इस व्यवस्था को वर्ष 2018-19 हेतु यथावत बनाये रखा जाता है।

2.13 <u>विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0-2ए):-</u>

प्रतिरक्षा सेवाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाते हैं। उक्त एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1991 से रू0 2500 वार्षिक निर्धारित है, जिसे वर्ष 2018-19 में बढ़ाकर रु0 5000 वार्षिक किया जाता है।

2.14 <u>एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा/बीयर की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन):-</u>

वर्ष 2017-18 हेतु एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस रु0 4,00,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 40000/- प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है, जिसमें रु0 1,00,000/- की वृद्धि करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस रु0 5,00,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 50000/- प्रति अनुज्ञापन निर्धारित किया जाता है।

2.15 <u>बी0डब्लूएफ0एल0(Bonded warehouse foreign liquor)-2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस (अन्य प्रान्तों के आसवक/यवासक/द्राक्षासवक एवं एल0ए0बी0 निर्माताओं के लिए):-</u>

बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित एवं वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस निम्नवत् है:-

क्र0सं0	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	**वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)**	**वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)**	**वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)**	**वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	**BWFL-2A**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	7.00	4.00	8.00	4.00
2	**BWFL-2B**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	5.00	2.00	6.00	3.00
3	**BWFL-2C**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.50	0.25	0.50	0.25
4	**BWFL-2D**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.25	0.10	0.25	0.10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.16 <u>विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीसः-</u>

वर्ष 2017-18 में विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस रुपये 50000 प्रति लेबुल निर्धारित है। उक्त लेबुल अनुमोदन फीस में रुपये 10000 की वृद्धि करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु रुपये 60000 प्रति लेबुल निर्धारित किया जाता है।

2.17 <u>विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीसः-</u>

बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस वर्ष 2017-18 हेतु 4/- रूपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में रुपये 10/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2017-18 में विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी0एस0डी0 लाइसेंस धारी को छोड़कर) रु0 3/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस को बढ़ाकर वर्ष 2018-19 हेतु रु0 4/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस निर्धारित की जाती है।

2.18 <u>विदेशी मदिरा की निर्यात पास फीस (सिविल):-</u>

विदेशी मदिरा का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस वर्ष 2017-18 हेतु रु0 6/- प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा का बोतलों में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु0 3.67/- प्रति ए0एल0 निर्धारित है। विदेशी मदिरा के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्यात पास फीस में कमी करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु विदेशी मदिरा का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु0 3/- प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा का बोतलों में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु0 1.50/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2017-18 में भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम पर निर्यात पास फीस रुपये 0.72 प्रति ए0एल0 निर्धारित है, जो 1991 से यथावत है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2018-19 हेतु पास फीस रु0 1.00 प्रति ए0एल0 निर्धारित की जाती है।

2.19 <u>विदेशी मदिरा की 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति</u>:-

वर्ष 2017-18 हेतु 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री इकोनोमी व उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ "सिरोंग पैक" में तथा 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री रेगूलर व उससे ऊपर की श्रेणियों में अनुमन्य की गयी है। वर्ष 2018-19 हेतु 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री प्रीमियम व उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ "सिरोंग पैक" में तथा 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री स्काच की श्रेणी में अनुमन्य की जाती है।

2.20 <u>विदेशी मदिरा की टेट्रापैक में आपूर्तिः-</u>

शासन के आदेश सं0 37/2016/976 ई-2/तेरह-2016-126/2013 दिनांक 24.06.2016 द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की इकोनामी, मीडियम एवं रेगूलर श्रेणी में 180 एम0एल0 की धारिता में टेट्रापैक में आपूर्ति वर्ष 2017-18 तक अनुमन्य की गयी है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा की इकोनामी, मीडियम एवं रेगूलर श्रेणी में 180 एम0एल0 की धारिता में टेट्रापैक में आपूर्ति वर्ष 2018-19 में भी करायी जाएगी। टेट्रापैक की रिसाइकलिंग हेतु सालिड वेस्ट मैंनेजमेन्ट रुल्स, 2016 के नियमों के अन्तर्गत टेट्रापैक में भराई एवं आपूर्ति करने वाली इकाई को इसके अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इससे भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान को भी बल मिलेगा।

2.21 <u>बार /क्लब लाइसेंस:-</u>

विभिन्न प्रकार के बार अनुज्ञापनों की वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये उसे अगले पांच हजार रुपये गुणांक में राउण्ड आफ करके पूर्व प्रदत्त सुविधाओं के साथ वर्ष 2018-19 के लिये निम्न प्रकार लाइसेंस फीस/सुविधाएं निर्धारित की जाती हैं:-

निश्चित फीस प्रणाली (रूपये में)		
होटल/रेस्टोरेन्ट बार/क्लब परमिट	**जनपद गौतमबुद्धनगर एवं जनपद गाजियाबाद सम्पूर्ण जनपद के क्षेत्र में तथा जनपद आगरा, कानपुरनगर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ, झांसी, सहारनपुर, बुलन्दशहर, मथुरा तथा मुजफ्फरनगर के नगर निगम क्षेत्र/जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटीफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा उपरोक्त जनपदों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित ऐसे नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र जो उक्त क्षेत्रों में भले सम्मिलित न हों, किन्तु उन क्षेत्रों से घिरे हुये हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब**	**स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न् क्षेत्र में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब**
1	**2**	**3**
(क) एफ0एल0-6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण		
(एक) 30 कमरों तक	8,05,000	6,45,000
(दो) 30 कमरों से अधिक किन्तु 70 से अनधिक तक	9,70,000	7,30,000
(तीन) 70 कमरों से अधिक किन्तु 100 से अनधिक तक	10,50,000	9,70,000
(चार) 100 से अधिक कमरे	12,10,000	10,05,000
(ख) एफ0एल0-6क(समिश्र) (चार व पांच सितारा होटल)	19,30,000	17,70,000
(ग) एफ0एल0-7 के लिये	7,30,000	5,70,000
(घ) एफ0एल0-7ख के लिये	2,50,000	1,75,000
(ड.) एफ0एल0-7सी(क्लब परमिट)		
(एक) 100 सदस्यों तक	2,10,000	2,10,000
(दो) 101 से 500 तक के सदस्यों के लिये	2,90,000	2,90,000
(तीन) 500 से अधिक सदस्यों के लिये	3,25,000	3,25,000

अग्रिम प्रतिबंध यह भी होगा कि किसी भी बार अनुज्ञापन की संबधित वर्ष की लाइसेंस फीस उसके द्वारा पूर्व वर्ष में अदा की गयी लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपरोक्तानुसार लाइसेंस फीस की अदायगी के उपरान्त निम्न सुविधायें वर्ष 2018-19 हेतु अनुमन्य होंगी:-

(1) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नान स्टार होटलों के केवल ए.सी. कमरों में अन्तःवासियों हेतु मिनी बार की सुविधा।

(2) होटलों में मदिरा पीने के लिए अनुमन्य बार रुम एवं होटल के कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कान्फ्रेन्स रुम, बैंक्वेटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के अन्तर्गत अन्तःवासियों हेतु मदिरा पान की सुविधा।

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलों की होटल के कमरों में उपलब्धता।

(4) ड्राट बीयर एवं बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, उपलब्धता।

(5) वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की उपलब्धता।

2.22 <u>बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि:-</u>

वर्ष 2017-18 हेतु सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिन में 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है, साथ ही नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों से एक लाख पच्चीस हजार रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार में मदिरा का उपभोग अनुमन्य है। वर्ष 2018-19 में भी इस व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

2.23 <u>ओकेजनल बार लाइसेंस:-</u>

वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न श्रेणियों में परिवर्तन करते हुये ओकेजनल बार की लाइसेंस फीस वर्ष 2018-19 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

ओकेजनल बार लाइसेंस फीस की श्रेणी	वर्ष 2018-19 हेतु ओकेजनल बार की लाइसेंस फीस
(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/ निजी स्थान (**Private Place)** पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो। (गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)	रु0 4,000/- प्रतिदिन
(ख) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंक्वेटहाल/रिसोर्टस/फार्महाउस/बारात घर एवं अन्य किसी स्थान आदि में आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु। (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)	रु0 10,000/- प्रतिदिन

ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) अनुज्ञापनधारकों को आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। वर्ष 2018-19 से ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) अनुज्ञापन ऑनलाइन निर्गत किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.24 अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस:-

वर्ष 2017-18 हेतु अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस की दरों में रु0 50 वृद्धि करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु निम्नवत् दरें निर्धारित की जाती है:-

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम0एल0)	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित परमिट फीस	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित परमिट फीस
रु0 0 से 600 तक	रु0 1090 प्रति बल्क लीटर	रु0 1140 प्रति बल्क लीटर
रु0 600 से अधिक	रु0 1140 प्रति बल्क लीटर	रु0 1190 प्रति बल्क लीटर

3 वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (लो अल्कोहालिक ब्रिवरेजेज-एल0ए0बी0)

3.1 भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क:-

वर्ष 2017-18 में भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क रु0 3/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। प्रदेश के राजस्व में वाइन से प्राप्त होने वाले राजस्व की भागीदारी बहुत कम है तथा वाइन का व्यवसाय प्रदेश में विकसित हो रहा है। अतः वर्ष 2018-19 हेतु भी भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क यथावत रु0 3/- प्रति बल्क लीटर रखा जाता है।

3.2 भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस:-

वर्ष 2017-18 हेतु भारत में निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रू0 66.66 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो, निर्धारित है। इसका प्रचलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इस मद में वृद्धि किया जाना उचित नहीं है। अतः वर्ष 2018-19 हेतु भी उक्त प्रतिफल फीस को यथावत रखा जाता है।

3.3 अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस:-

वर्ष 2017-18 हेतु अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस रू0 66.66 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो, निर्धारित है। इसका प्रचलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इस मद में वृद्धि किया जाना उचित नहीं है। अतः वर्ष 2018-19 हेतु भी उक्त परमिट फीस को यथावत रखा जाता है।

3.4 अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना:-

अन्य देशों से आयातित वाइन की बोतलों पर वर्ष 2017-18 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित है:-

1. आयातित वाइन की बोतलों पर न्यूनतम 70 मिलीमीटर **X** 35 मिलीमीटर साइज का सफेद रंग का स्टिकर चस्पा किया जायेगा।
2. उक्त स्टिकर पर सामान्य स्वस्थ आंखों से स्पष्ट पठनीय काले रंग के अक्षरों में अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (एम0आर0पी0),"**Consumption of Liquor is Injurious to Health**" तथा आयातक व वितरक का नाम व पूर्ण पता अंकित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उक्त स्टिकर पर लाल रंग से न्यूनतम 3 मिलीमीटर साइज के अक्षरों में **"For Sale in Uttar Pradesh only"** विकर्णवत (**Diagonally)** अंकित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था को वर्ष 2018-19 हेतु भी यथावत बनाये रखा जाता है।

3.5 <u>अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः-</u>

वर्ष 2017-18 में अन्य देशों से आयातित वाइन पर प्रति ब्राण्ड रुपये 20,000/- रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2018-19 हेतु रुपये 25,000/- रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित किया जाता है।

3.6 <u>भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः-</u>

भारत निर्मित वाइन की ब्रान्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2017-18 में रू0 5000/- प्रति ब्राण्ड एवं लेबुल अनुमोदन फीस भी रू0 5000/- प्रति लेबुल निर्धारित है। इसे वर्ष 2018-19 में भी यथावत रखा जाता है।

3.7 <u>वाइन की बिक्री:-</u>

वाइन की बिक्री वर्ष 2017-18 की ही भांति वर्ष 2018-19 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों से कराई जाएगी।

3.8 <u>कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री:-</u>

वर्ष 2017-18 में सेना के अधिकारियों को एफ0एल0-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य है। इसे वर्ष 2018-19 में भी यथावत बनाये रखा जाता है।

3.9 <u>कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः-</u>

कम तीव्रता के मादक पेय के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन की फीस वर्ष 2017-18 में क्रमशः रु0 3000/- प्रति ब्राण्ड व रु0 5000/- प्रति लेबुल निर्धारित है। इसकी बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत अत्यन्त अल्प है। अतः वर्ष 2017-18 की भाँति वर्ष 2018-19 में इनके ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन फीस को यथावत बनाये रखा जाता है।

3.10 <u>कम तीव्रता के मादक पेय , ऐल, पोर्टर, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीसः-</u>

उपरोक्त मादकों पर गतवर्षो में बीयर की भांति ही प्रतिफल फीस ली जाती रही है। वर्ष 2017-18 में उक्त मादकों के संबंध में भी ई0बी0पी0 प्राप्त कर बीयर की भांति एम0आर0पी0 व प्रतिफल फीस का निर्धारण किया जाना अनुमन्य है। अतः वर्ष 2017-18 की भांति वर्ष 2018-19 में उक्त व्यवस्था को यथावत अनुमन्य किया जाता है।

4 <u>बीयर</u>

4.1 <u>आवेदन व प्रोसेसिंग फीसः-</u>

वर्ष 2017-18 के लिये प्रोसेसिंग फीस की दर रु0 11000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी। विभाग में ऑन-लाइन व्यवस्था लागू करने एवं ढांचागत विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में गम्भीर एवं वास्तविक आवेदकों को ही सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने तथा अवास्तविक एवं अक्षम व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये प्रोसेसिंग फीस बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के लिये रु0 15000/- प्रति आवेदन पत्र की जाती है। इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी/वैट नियमानुसार वसूल किया जायेगा।

4.2 <u>बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस:-</u>

वर्ष 2018-19 हेतु बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2017-18 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु0 5000 गुणक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु0 5000 के अगले स्तर पर राउण्ड आफ करके निर्धारित की जायेगी, परन्तु प्रतिबंध होगा कि यह लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति की नवसृजित दुकान के लिये निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

4.3 <u>बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजनः-</u>

अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री की रोकथाम तथा असेवित क्षेत्रों में मानक गुणवत्ता की बीयर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्ष 2017-18 हेतु 25 प्रतिशत नई दुकानों के सृजन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त था तथा 25 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता होने पर शासन की स्वीकृति से दुकानों का सृजन किये जाने की व्यवस्था रही है। दुकानों के खुलने से होने वाले जनविरोध की स्थिति को देखते हुये वर्ष 2018-19 में इसे घटाकर बीयर की वर्तमान वर्ष में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 10 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को दिया जाता है। 10 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता होने पर नई दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के लिये नवसृजित बीयर दुकानों की निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। अतः वर्ष 2018-19 हेतु नवसृजित बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान
1	2	3	4
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	1,95,000	1,95,000
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	1,05,000	1,05,000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	60,000	60,000
4	ग्रामीण	55,000	55,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बीयर की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4.4 <u>बीयर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण:-</u>

बीयर की फुटकर दुकानों में वर्ष 2018-19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपभोग होने की स्थिति में वर्ष 2019-2020 हेतु निर्धारित शर्तो व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहे तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जाएगी।

4.5 <u>बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0:-</u>

वर्ष 2017-18 हेतु बीयर के प्रतिफल फीस, श्रेणी एवं एम0आर0पी0 आगणन सूत्र में परिवर्तन करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु निम्नवत निर्धारित किया जाता है:-

माइल्ड बीयर की एम.आर.पी. निर्धारण हेतु सूत्र (5 प्रतिशत वी/वी या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता)

यवासयक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई0बी0पी0) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/एक्स सी0एस0डी0 मूल्य प्रति बोतल 650एम0एल0 (रू0 में) **(E)**	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650मिली0) (रू0 में) **(D)**	थोक बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650 मि0ली0)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन(प्रति बोतल 650 मि0ली0)	अधिकतम फुटकर मूल्य **(P)** (प्रति बोतल 650 मि0ली0) **MRP**
1	2	3	4	5
एक्स ब्रिवरीज प्राइस (ई0बी0पी0)	ई0बी0पी0(E) का 275%	रू0 1.80	रू0 17.00	कालम 1+2+3+4 का योग

स्ट्रांग बीयर की एम.आर.पी. निर्धारण हेतु सूत्र (5% v/v अल्कोहल की तीव्रता से अधिक परन्तु 8% v/v अल्कोहल की तीव्रता तक):-

यवासयक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई0बी0पी0) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/एक्स सी0एस0डी0 मूल्य प्रति बोतल 650एम0एल0 (रू0 में) **(E)**	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650मिली0) (रू0 में) **(D)**	थोक बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650 मि0ली0)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन(प्रति बोतल 650 मि0ली0)	अधिकतम फुटकर मूल्य **(P)** (प्रति बोतल 650 मि0ली0) **MRP**
1	2	3	4	5
एक्स ब्रिवरीज प्राइस (ई0बी0पी0)	ई0बी0पी0(E)का 290%	रू0 1.80	रू0 17.00	कालम 1+2+3+4 का योग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नोट:-

1. बीयर ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु यवासवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई0बी0पी0 कॉस्ट एकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित है तथा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में घोषित न्यूनतम ई0बी0पी0 के समतुल्य अथवा उससे कम है। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि जांच में शपथ पत्र में किये गये अभिकथन असत्य पाये जाने पर ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. 650 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु उक्त सूत्र से प्रतिफल फीस का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों/कैन हेतु समानुपातिक रूप से प्रतिफल फीस का आगणन किया जायेगा।
3. 650 एम0एल0 की बोतल हेतु उक्त सूत्र से थोक/फुटकर विक्रेता के मार्जिन का आगणन करके अन्य धारिताओं में बोतल/कैन हेतु समानुपातिक रूप से मार्जिन का आगणन किया जायेगा।
4. बीयर के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्डआफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफलफीस के रूप में लिया जायेगा।
5. 650 एम0एल0 धारिता की बोतल के सापेक्ष कैन की लागत का अधिभार अधिक पड़ने के दृष्टिगत बोतल (650 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये उक्त एक्स ब्रिवरी मूल्य (ई0बी0पी0) में 500 एम0एल0 की धारिता की कैन के मूल्य निर्धारण हेतु रु0 03 एवं 330 एम0एल0 धारिता के कैन के मूल्य निर्धारण हेतु रु0 02 बढ़ाकर किया जायेगा।
6. बोतल (650एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये ब्रिवरी द्वारा उक्त एक्स ब्रिवरी मूल्य (ई0बी0पी0)को 500 एम0एल0 धारिता के समानुपातिक आगणित करके आगणित धनराशि में रू0 3 जोड़कर 500 एम0एल0 धारिता की कैन की ईबी0पी0 आगणित की जायेगी। इसी प्रकार बोतल (650एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये उक्त एक्स ब्रिवरी मूल्य (ई0बी0पी0) को 500 एम0एल0 से कम धारिता के समानुपातिक आगणित करके आगणित धनराशि में रू0 2 जोडकर 500 एम0एल0 से कम धारिता के कैन की ई0बी0पी0 आगणित की जायेगी।
7. 650 एम0एल0 के बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में बोतल, लेबुल व पी0पी0 (पिल्फर प्रूफ) कैप के मूल्यों का अधिभार अधिक पड़ने के दृष्टिगत बोतल (650 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये ब्रिवरी द्वारा उक्त एक्स ब्रिवरी/ब्राण्ड धारक इकाई मूल्य (ई0बी0पी0) में 650 एम0एल0 से कम धारिता की बोतल हेतु रु0 2 बढ़ाकर ई0बी0पी0 निर्धारित की जायेगी। अर्थात ब्रिवरी/ब्राण्ड धारक इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रति बोतल 650 एम0एल0 ई0बी0पी0 में उपरोक्तानुसार रु0 02 जोड़कर 650 एम0एल0 से कम की धारिता की बोतलों हेतु समानुपातिक रुप से ई0बी0पी0 का आगणन किया जायेगा।
8. यदि कोई ब्रिवरी/ब्राण्ड धारक इकाई 650 एम0एल0 की बोतल में ई0बी0पी0 प्रस्तुत नहीं करती है और केवल 500 एम0एल0 या 500 एम0एल0 से कम धारिता के कैन की ई0बी0पी0 प्रस्तुत करती है, तो उक्त प्रस्तुत ई0बी0पी0 में क्रमश: रू0 3 व रू0 2 घटाकर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

650 एम0एल0 बोतल के समानुपातिक ई0बी0पी0 का आगणन करके प्रतिफल फीस एवं थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन इत्यादि का आगणन किया जायेगा।

9. यदि कोई ब्रिवरी/ब्राण्डधारक इकाई 650एम0एल0 की बोतल में ई0बी0पी0 प्रस्तुत नहीं करती है और केवल 650 एम0एल0 से कम धारिता की बोतल की ई0बी0पी0 प्रस्तुत करती है, तो उक्त प्रस्तुत ई0बी0पी0 को समानुपातिक रूप से 650 एम0एल0 की बोतल हेतु आगणित कर इसमें से रु0 2 घटाकर 650 एम0एल0 की बोतल हेतु ई0बी0पी0 का निर्धारण किया जायेगा।

4.6 <u>बीयर का थोक लाइसेंस:-</u>

(क) <u>एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन:-</u>

बीयर के थोक बिक्री के लाइसेंस (एफ0एल0-2बी) जनपदवार स्वीकृत किये जायेंगे।

(ख) <u>एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों हेतु प्रोसेसिंग फीस एवं अनुज्ञापन शुल्क:-</u>

वर्ष 2018-19 हेतु एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन जनपदवार स्वीकृत किये जायेंगे। आवेदक को अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ रु0 25,000 प्रोसेसिंग फीस के रुप में तथा इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी/वैट नियमानुसार लिया जायेगा।

एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों की वर्ष 2017-18 की लाइसेंस फीस का निर्धारण उनकी पूर्व वर्ष में बिक्री की मात्रा के आधार पर किया गया था। इससे विभिन्न जनपदों की अलग-अलग लाइसेंस फीस निर्धारित होती थी। इस व्यवस्था को समाप्त करके इसके स्थान पर वर्ष 2018-19 हेतु बीयर के थोक अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस की 03 श्रेणियां निम्नवत निर्धारित की जाती हैं-

क्र0सं0	जनपद का नाम	लाइसेंस फीस प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)
1	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट।	4.00	0.40
2	सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संतरविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, संभल, शामली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, औरया, रामपुर, शाहजहांपुर, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर।	7.00	0.70
3	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपद	10.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) <u>एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को बीयर की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस-</u>

एफ0एल0-2बी अनुज्ञापी द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद को बीयर की आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करने तथा उसे जमा करने की व्यवस्था वर्ष 2018-19 के लिये भी निम्नवत प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती हैः-

1. जिन जनपदों हेतु एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, उन जनपदों हेतु बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा निकटतम किसी अन्य जनपद के एफ0एल0-2बी अनुज्ञापी को सम्बद्ध किया जायेगा। इस हेतु सम्बद्ध किये गये एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन से संबंधित जनपद की लाइसेंस फीस अतिरिक्त रुप से वसूली जायेगी जो आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद में मासिक रूप से 1/12 भाग के रूप में अग्रिम जमा की जायेगी।
2. आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद का सम्बद्धीकरण आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अंदर आपूर्तिकर्ता एफ0एल0-2बी अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। उसके बाद आगामी माह के लिये सम्बद्धीकरण आदेश प्रभावी रहने की स्थिति में उक्त माह के लिये मासिक लाइसेंस फीस सम्बन्धित माह के प्रथम कार्य दिवस को जमा करायी जायेगी।
3. आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापियों द्वारा उक्त निर्धारित लाइसेंस फीस समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी और सबंधित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उक्त लाइसेंस फीस मदिरा की निकासी से पूर्व आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापी द्वारा जमा कर दी गयी है। जिला आबकारी अधिकारी अतिरिक्त लाइसेंस फीस की जमा की विवरण सहित सूचना संबंधित ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति के साथ माह की 05वीं तिथि तक आयुक्तालय तथा संबंधित संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
4. आपूर्तिकर्ता एफ0एल0-2बी अनुज्ञापी द्वारा उक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस, बीयर प्राप्त करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों से अतिरिक्त रूप से वसूल नहीं की जायेगी।
5. अनुज्ञापी को अनुज्ञापित परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से मुख्यालय से देखा जा सके, लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापी को गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारुपों में सूचना संकलित करना एवं उसका आदान-प्रदान सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
6. अनुज्ञापी को ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

4.7 <u>अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन:-</u>

अन्य देशों से आयातित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2017-18 में रू0 25,000 प्रति ब्राण्ड निर्धारित है। राजस्व हित में उक्त ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस को वर्ष 2018-19 हेतु रु0 30,000 प्रति ब्राण्ड निर्धारित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.8 <u>अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस:-</u>

अन्य देशों से आयातित बीयर पर वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित परमिट फीस की दरों में आंशिक परिवर्तन करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित परमिट फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्र0सं0	अन्य देशों से आयातित बीयर का प्रकार	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित परमिट फीस की दर (रुपये में) प्रति 650 **ml** की बोतल	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित परमिट फीस की दर (रुपये में) प्रति 650 **ml** की बोतल
1	5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक	120.00	120.00
2	5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक	110.00	120.00

4.9 <u>भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन:-</u>

भारत निर्मित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2017-18 हेतु रुपये 40000 प्रति ब्राण्ड निर्धारित है। इसे वर्ष 2018-19 हेतु रु0 5000 प्रति ब्राण्ड बढ़ाकर रु0 45000 प्रति ब्राण्ड रखा जाता है।

4.10 <u>अन्य देशों से आयातित बीयर की एम0आर0पी0 अंकित किया जाना:-</u>

अन्य देशों से आयातित बीयर की बोतलों पर वर्ष 2017-18 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित थी:-

1. आयातित बीयर की बोतलों पर न्यूनतम 70 मिलीमीटर **X** 35 मिलीमीटर साइज का सफेद रंग का स्टिकर चस्पा किया जायेगा।
2. उक्त स्टिकर पर सामान्य स्वस्थ आंखों से स्पष्ट पठनीय काले रंग के अक्षरों में अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (एम0आर0पी0), **"Consumption of Liquor is Injurious to Health "** तथा आयातक व वितरक का नाम व पूर्ण पता अंकित किया जायेगा।
3. उक्त स्टिकर पर लाल रंग से न्यूनतम 3 मिलीमीटर साइज के अक्षरों में **"For Sale in Uttar Pradesh only"** विकर्णवत **(Diagonally)** अंकित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था को वर्ष 2018-19 हेतु यथावत बनाये रखा जाता है।

4.11 <u>बीयर व एल0ए0बी0 पर निर्यात शुल्क:-</u>

वर्ष 2017-18 में बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क रु0 1/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है, जो वर्ष 2004-05 से यथावत है। वर्ष 2018-19 हेतु बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क रु0 2/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

4.12 <u>बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्कः-</u>

वर्ष 2017-18 में फ्लेश पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया से निर्मित ड्रॉट बीयर पर आयात शुल्क रू0 1/- प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मादक पेय पर आयात शुल्क रु0 3 प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। वर्ष 2018-19 हेतु ड्रॉट बीयर पर आयात शुल्क रू0 1.50/- प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रु0 4 प्रति बल्क लीटर रखा जाता है।

4.13 भारत निर्मित बीयर के लेबुलों का अनुमोदनः-

भारत निर्मित बीयर के लेबुलों की अनुमोदन फीस वर्ष 2017-18 में रु0 30,000/- प्रति लेबुल निर्धारित है। इसे रु0 5,000 प्रति लेबुल बढ़ाकर वर्ष 2018-19 हेतु रु0 35,000 प्रति लेबुल निर्धारित किया जाता है।

5 माडल शाप्स

5.1 माडल शाप्स की प्रोसेसिंग फीसः-

वर्ष 2017-18 के लिये प्रोसेसिंग फीस की दर रु0 12,000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी। विभाग में आन-लाइन व्यवस्था लागू करने एवं ढांचागत विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में गम्भीर एवं वास्तविक आवेदकों को ही सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने तथा अवास्तविक एवं अक्षम व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये प्रासेसिंग फीस बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के लिये रु0 20,000/- प्रति आवेदन पत्र किया जाता है। इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी/वैट नियमानुसार वसूल किया जाएगा।

5.2 माडल शाप्स की लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित माडल शाप्स की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 5,000 के गुणांक में वर्ष 2018-19 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जाती है, परन्तु यह संबंधित प्रास्थिति/निकाय के लिये नवसृजित माडल शाप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

नवसृजित माडल शाप्स की लाइसेंस फीस में वृद्धि न कर वर्ष 2018-19 हेतु माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

निकाय	लाइसेंस फीस (रूपये में)	प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)
1. नगर निगमों एवं ग्रेटर नोयडा सहित नोयडा के लिये (झांसी को छोड़कर)	39.70 लाख	4.00 लाख
2. अन्य स्थानों पर स्थित माडल शाप्स के लिये (झांसी सहित)	14.55 लाख रूपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 39.70 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी।	2.00 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने के लिये वर्ष 2017-18 हेतु रू0 100000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित था। वर्ष 2018-19 के लिये भी उक्त व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

5.3 <u>माडल शाप्स का सृजन:-</u>

अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री की रोकथाम तथा असेवित क्षेत्रों में मानक गुणवत्ता की विदेशी मदिरा एवं बीयर की उपलब्धता हेतु वर्ष 2017-18 की आबकारी नीति के अनुसार 15 प्रतिशत नई दुकानों के सृजन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त था। अतः वर्ष 2018-19 हेतु वर्ष 2017-18 में व्यवस्थित कुल माडल शाप्स के 10 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को दिया जाता है।

वर्ष 2017-18 में यह व्यवस्था निर्धारित है कि जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वर्ष के दौरान कभी भी माडल शाप्स का सृजन व व्यवस्थापन कराया जा सकता है। इस व्यवस्था को वर्ष 2018-19 हेतु यथावत बनाये रखा जाता है।

5.4 <u>माडल शाप्स के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण:-</u>

माडल शाप्स में वर्ष 2018-19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रतिफल शुल्क होने की स्थिति में विदेशी मदिरा तथा 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक बीयर का उपभोग होने की स्थिति में वर्ष 2019-2020 हेतु निर्धारित शर्तो व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहें तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जाएगी।

6 <u>भांग</u>

6.1 **<u>भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन:-</u>**

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार वर्ष 2018-19 हेतु भी किया जाता है। भांग के लिये वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित नीति की भांति वर्ष 2018-19 हेतु भी निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस ली जाएगी तथा एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस निर्धारित की जाती है।

6.2 <u>भांग के निर्यात पर निर्यात फीसः-</u>

वर्ष 2017-18 हेतु भांग के निर्यात पर रुपये 4/- प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस निर्धारित है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2018-19 हेतु भांग के निर्यात पर रुपये 5/- प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस निर्धारित की जाती है।

7 <u>अन्य</u>

7.1 <u>कतिपय नियमावलियों /विज्ञप्तियों में संशोधन/अनुपालन:-</u>

(क) वर्ष 2018-19 की नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों के एकान्तिक विषेशाधिकार के लिये विशिष्ट जोनों का सीमांकन व विनियमन नियमावली, 2009 का निरसन तथा यथावश्यकता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नई नियमावलियों के सृजन व प्रचलित नियमावलियों/अधिसूचनाओं/विज्ञप्तियों में समुचित संशोधन किया जाना एवं विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु विदेशी मदिरा के बाटलिंग नियमों में भी यथावश्यक संशोधन किया जाएगा।

(ख) मदिरा की दुकानों के खुले रहने का समय मध्यान्ह 12.00 से रात्रि 10.00 बजे तक का निर्धारित किया जाता है।

(ग) फुटकर दुकानों की अवस्थिति के निर्धारण में सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7.2 <u>मुकदमों के त्वरित निस्तारण एवं न्यायालयों में संख्या कम करने के संबंध में:-</u>

आबकारी अपराधों से संबंधित छोटे मुकदमों के त्वरित निस्तारण एवं न्यायालयों में संख्या कम करने के दृष्टिकोण से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-74(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग हेतु आबकारी निरीक्षक से अन्यून स्तर के अधिकारियों को सशक्त किया जाना तथा अन्तर्ग्रस्त मादक पदार्थो (नारकोटिक पदार्थो को छोड़कर) की अधिकतम सीमा, मदिरा के लिये 20 लीटर व भांग के लिये 5 किलोग्राम निर्धारित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना प्रकाशित करायी जाएगी। इस संबंध में शमन फीस अवैध शराब के मामलों में रु0 250 प्रति लीटर तथा भांग के प्रकरणों में रु0 200 प्रति किलोग्राम से कम नहीं होगी।

7.3 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-74 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु सशक्त अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा-34(1) की उपधारा-(क) व (ख) के अन्तर्गत लाइसेंस, परमिट अथवा पास के निरस्तीकरण अथवा निलम्बन के बदले क्षतिपूर्ति स्वीकार करने अथवा धारा-64 व धारा-68 के अन्तर्ग्रस्त अभियोगों को प्रशमित करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आबकारी विभाग के सहायक आबकारी आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों को सशक्त किया गया है, परन्तु ऐसे अधिकार प्राप्त अधिकारियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त सम्मिलित नहीं है। शासकीय कार्यहित में संयुक्त आबकारी आयुक्त स्तर के अधिकारियों को भी इस धारा के अन्तर्गत सशक्त किया जाता है।

7.4 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-74 के अन्तर्गत प्रशमनीय अनियमितताओं के प्रकरणों में प्रशमन धनराशि में एकरुपता बनाये रखने की दृष्टि से क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये जाने हेतु स्पष्ट प्राविधान किया जाएगा। अतः प्रशमन धनराशि का आरोपण निम्नानुसार किये जाने हेतु निर्देश जारी किया जाता है:-

क्र0	**अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार**	**प्रथम बार (रू0 में)**	**द्वितीय बार (रू0 में)**	**तृतीय बार (रू0 में)**
1	2	3	4	5
1	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना।	2,500	3,000	5,000
2	अनधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना।	5,000	7,000	10,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	स्टाक रजिस्टर मांगने पर न प्रस्तुत करना।	10,000	15,000	20,000
4	स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना।	5,000	10,000	15,000
5	बोतलों और पौव्वों या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ करना।	10,000	15,000	20,000
6	अनुज्ञापित परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली/श्रिंक स्लीव अथवा बारकोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अपायकर सामग्री का पाया जाना।	20,000	30,000	50,000
7	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना।	5,000	7,000	10,000
8	ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर/ गोदाम में संचित करना।	20,000	25,000	30,000
9	लेखानुसार मात्रा से अधिक डयूटी पेड स्टाक का पाया जाना।	25,000	30,000	50,000
10	मदिरा का जलापमिश्रण/ तनुकरण पाया जाना/उच्च श्रेणी की मदिरा में निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण।	40,000	50,000	निरस्तीकरण की कार्यवाही
11	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना।	5,000	10,000	15,000
12	मद्य निषेध दिवसों/बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना।	30,000	40,000	50,000
13	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000
14	निर्धारित एम0आर0पी0 से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय।	10,000	20,000	30,000
15	अनुज्ञापित परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड न लगा पाया जाना। साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित	5,000	10,000	20,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	करना।			
16	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2,000	5,000	10,000
17	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01 से 17 तक पर अंकित न हो।	2,000	5,000	10,000

7.5 <u>आबकारी दुकानों का ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन</u>

पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सभी को अवसर की समानता प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रदेश के समस्त जनपदों में देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप का व्यवस्थापन ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित कर ई-लाटरी के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। किसी दुकान के लिये आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं के नाम से एक तथा सह आवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। किसी भी आवेदक के पक्ष में (स्वयं अथवा सह आवेदक के साथ) एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आबंटित नहीं की जायेगी।

किसी दुकान हेतु एकल आवेदक की स्थिति में, आवेदन नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर दुकान का व्यवस्थापन संबंधित आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऑन-लाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। दुकानों हेतु प्रासेसिंग फीस भी ऑन-लाइन ही जमा की जायेगी। साथ ही प्रासेसिंग फीस पर देय वैट/जी0एस0टी भी नियमानुसार ऑन-लाइन जमा करना अनिवार्य होगा। जिन आवेदकों द्वारा ऑन-लाइन फीस जमा नहीं की जायेगी तथा निर्धारित प्रारुप में शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गतवर्ष का आयकर रिटर्न व हैसियत प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की जायेगी, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार धरोहर धनराशि ऑन-लाइन जमा की जायेगी, जो प्रत्येक जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के खाते में जमा होगी तथा असफल आवेदकों को धरोहर धनराशि की वापसी इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से की जायेगी। चयनित आवेदकों द्वारा जमा धरोहर धनराशि उनके द्वारा देय बेसिक/लाइसेंस फीस की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। इस व्यवस्था हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जाएगा।

प्रथम चरण में सम्पूर्ण प्रदेश में ई-लाटरी से व्यवस्थापन एक ही दिन कराया जाना होगा। ई-लाटरी प्रणाली का विकास एन0आई0सी0 के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

7.6 <u>प्रथम चरण के व्यवस्थापन से अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया:-</u>

प्रथम चरण के व्यवस्थापनोपरांत अवशेष अव्यवस्थित दुकानों को उसी एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस पर पुनः ऑन-लाइन आवेदन पत्र मांग कर ई-लाटरी के माध्यम से द्वितीय चरण में व्यवस्थापन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कराया जायेगा। इसके बाद भी अव्यवस्थित रह गयी दुकानों का शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार व्यवस्थापन कराया जायेगा।

7.7 <u>दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना:-</u>

यदि किन्हीं कारणों से कोई दुकान अव्यवस्थित चल रही हो तब वर्ष 2017-18 की भांति ही वर्ष 2018-19 हेतु दैनिक आधार पर आगणित देयताओं पर आफर मांग कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

इस निमित्त देशी शराब की फुटकर बिकी की दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) का 1/365 भाग लिया जाना तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स हेतु दुकान की दैनिक लाइसेंस फीस उनकी वार्षिक लाइसेंस फीस का 1/365 भाग लिया जाएगा।

दैनिक व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराने, जनपद/विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने के बाद वर्ष 2018-19 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर कराया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। इस प्रकार के व्यवस्थापन से राजस्व सुरक्षित हो सकेगा तथा क्षेत्र असेवित न रहने के कारण मदिरा की तस्करी पर भी नियंत्रण लगेगा।

7.8 <u>दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनव्यर्वस्थापन</u>

दुकानों के मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनर्व्यस्थापन की स्थिति मे वर्ष 2018-19 हेतु सार्वजिनक विज्ञापन देकर ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व माडल शाप्स की देयताओं का निर्धारण, इस प्रयोजन हेतु सुसंगत नियमावलियों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

7.9 <u>पैन नं0 एवं आधार कार्ड का प्रस्तुतीकरणः-</u>

वर्ष 2018-19 हेतु मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन नं0, गत वर्ष का आयकर रिटर्न एवं आधार कार्ड का विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा। चयन की दशा में चयनित आवेदक से उसकी दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र (मूलरुप में) तथा पैन नं0, गतवर्ष का आयकर रिटर्न एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा।

7.10 डिजीटल इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने हेतु आबकारी राजस्व को ऑन-लाइन जमा करने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। आबकारी राजस्व से संबंधित समस्त धनराशियों का भुगतान कोषागार में इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.11 मदिरा की थोक/फुटकर बिक्री के सभी स्थलों पर पेमेन्ट की व्यवस्था इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा-डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आर0टी0जी0एस0,एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ-साथ नकद रूप में भी कराई जाएगी।

7.12 मदिरा उत्पादन एवं निकासी की व्यवस्था को इलेक्ट्रानिक माध्यम से ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आसवनियों/यवासवनियों एवं बाण्डधारक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इकाईयों में बाटलिंग/आयात के स्तर से मदिरा के विभिन्न ब्राण्ड एवं धारिताओं को रिटेल स्तर तक इलेक्ट्रानिक प्रणाली द्वारा ट्रेक एण्ड ट्रेस किया जाएगा। अतः आसवनियों, थोक अनुज्ञापनों तथा फुटकर अनुज्ञापनों के स्तर पर ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था का अनुरक्षण अनिवार्य होगा।

7.13 प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के आबकारी विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन क्षमता, उत्पादन प्रक्रिया एवं उपयोग किये जाने वाली प्रोद्योगिकी का अध्ययन विशेषज्ञों से कराते हुये उसमें सुधार लाये जाने की आवश्यकता को एक्सप्लोर करने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु अध्ययन कराया जाएगा।

7.14 मदिरा के थोक अनुज्ञापियों को लाइसेंस फीस की धनराशि से अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। देशी मदिरा की फुटकर बिक्री दुकानों के संबंध में हैसियत प्रमाण पत्र संबंधित अनुज्ञापन की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के छठे भाग तथा विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स की लाइसेंस फीस की समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी।

7.15 <u>वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में व्यावहारिक विचलनों के संबंध में:-</u>

आबकारी नीति की मा0 मंत्रिमण्डल से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होतीं है। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए वर्ष 2017-18 हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित है:-

> "आबकारी नीति की मा0 मंत्रिमण्डल से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान/निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक/ व्यावहारिक/ विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त/संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसके अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य/संयोजक हैं, को अधिकृत करने तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिये जाने का प्राविधान किया जाता है।"
>
> उपरोक्त व्यवस्था वर्ष 2018-19 हेतु भी यथावत् रहेगी।

7.16 <u>विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारणः-</u>

वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2018 को बिक्री अवधि के पश्चात् अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्डवार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.04.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2018 तक आयुक्तालय को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2017-18 की अवशेष मदिरा का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगाः-

1. देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक को संबंधित आसवनी को वापस कर दिया जायेगा। आसवनी द्वारा उक्त स्टाक वापस लेने पर उस पर देय प्रतिफल फीस का समायोजन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आबकारी आयुक्त की अनुमति से उसके एडवान्स एकाउन्ट में कर दिया जायेगा। आस्वनी में वापस प्राप्त देशी शराब पर लगे होलोग्राम को उचाड़कर सुरक्षित रखा जायेगा तथा उसका सत्यापन होलोग्राम समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त विनष्ट किया जायेगा। आसवनी को उक्त मदिरा पर देय मूल्य (प्रतिफल शुल्क को छोड़कर) सी0एल0-2 अनुज्ञापी (यदि आसवनी स्वयं सी0एल0-2 अनुज्ञापी न हो) को वापस करना होगा।

2. देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक को जनपद के थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसका नीलाम आबकारी आयुक्त की अनुमति से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा, प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की उपस्थिति में कराया जाएगा। उक्त नीलाम में प्रदेश की पेय मदिरा आसवनियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। इस प्रकार प्राप्त मदिरा का आसवनियों द्वारा नियमानुसार पुनर्आसवन करना अनिवार्य होगा तथा इससे पूर्व होलोग्राम को उचाड़ कर सुरक्षित रखा जायेगा। होलोग्राम समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उक्त होलोग्राम को समिति के समक्ष नष्ट किया जायेगा। पुनर्आसवित स्प्रिट का लेखा अलग से संरक्षित किया जायेगा तथा पेय मदिरा के निर्माण में इसका उपयोग किये जाने से पूर्व इसका परीक्षण केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराया जाना अनिवार्य होगा। नीलाम से प्राप्त धनराशि को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद के कोषागार में लेखाशीर्षक-8443 प्रतिभूति एवं अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि को तत्पश्चात् समानुपातिक रुप से संबंधित अनुज्ञापियों को वितरित किया जायेगा। अवशेष देशी मदिरा के नीलाम हेतु इच्छुक आसवक उपलब्ध न होने पर अनुज्ञापियों को कोई मूल्य देय नहीं होगा तथा अवशिष्ट देशी मदिरा को उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के समक्ष नष्ट कर दिया जायेगा।

3. <u>अवशेष विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन इत्यादि का निस्तारण:-</u>

(क)- एफ0एल0-2/2बी अनुज्ञापनों पर वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पश्चात् अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2018-19 हेतु होगा उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस/अभिकर की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस/अभिकर/एम0आर0पी0 में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित वर्ष 2018-19 के विशेष सुरक्षा प्रणाली तथा नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ख)- जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2018-19 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस/अभिकर की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस/ अभिकर/एम0आर0पी0 में वृद्धि होती है तो अंतर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर सुरक्षा प्रणाली एवं नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ग)- जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2018-19 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस/अभिकर/एम0आर0पी0 उनकी वर्ष 2017-18 के लिये घोषित ई0डी0पी0/ई0बी0पी0 पर वर्ष 2018-19 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी। ऐसी स्थिति में अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत किया जायेगा:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस/अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस/अभिकर एवं एम0आर0पी0 की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित वर्ष 2018-19 के विशेष सुरक्षा प्रणाली तथा नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
- उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस/अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस/अभिकर एवं एम0आर0पी0 दोनों में वृद्धि होती है तो प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक पर सुरक्षा प्रणाली एवं नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
- उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस/अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस/अभिकर में कमी होती है किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्धि होती है तो वर्ष 2017-18 की एम0आर0पी0 पर ही बिक्री की जायेगी।

उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न प्रकरणों में आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

7.17 <u>वर्ष 2018-19 के लिये अनुमानित राजस्व</u>

उक्तानुसार वर्ष 2018-19 के लिये निर्धारित आबकारी नीति के आधार पर अनुमानित राजस्व का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	मद	अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड रूपये में) वर्ष 2017-18	संभावित राजस्व वृद्धि (करोड रूपये में) वर्ष 2018-19	कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड रूपये में) वर्ष 2018-19 (कालम 3+4)
1	2	3	4	5
1	**देशी शराब-** प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	8050.00	1688.81	9738.81
2	**विदेशी मदिरा-** प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	5350.00	2132.84	7482.84
3	**बीयर-** प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	2000.00	794.34	2794.34
4	**अन्य मद-** शीरे पर प्रशासनिक शुल्क, आसवनी/ब्रिवरी की लाइसेंस फीस, आयात-निर्यात फीस, फार्मेसियों से प्राप्तियां एवं भांग की बिडमनी इत्यादि	330.00	57.00	387.00
	योग-	15730.00	4672.99	20402.99 या+29.71%

वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति के क्रियान्वयन से प्राप्त समस्त राजस्व (आवेदन शुल्क/धरोहर राशि/लाइसेंस फीस/प्रतिफल फीस/शमन शुल्क आदि) का विवरण पृथक से रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष 2001-02 में नई आबकारी नीति लागू होने के पश्चात् से वर्ष 2017-18 तक पूर्व वर्ष की तुलना में अधिकतम 30.2 प्रतिशत की सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वर्ष 2002-03 में प्राप्त हुई थी। इस वर्ष को छोड़कर शेष वर्षों में वृद्धि की दर 6.6 प्रतिशत ऋणात्मक से लेकर अधिकतम 20.2 प्रतिशत प्राप्त हुई है। इस स्थिति को देखते हुये वर्ष 2018-19 के लिये प्रस्तावित 29.71 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य है। इस प्रकार वर्ष 2017-18 की संभावित राजस्व प्राप्तियां लगभग रू0 15730.00 करोड़ में वर्ष 2018-19 हेतु संभावित राजस्व वृद्धि रू0 4672.99 करोड़ को सम्मिलित कर रू0 20402.99 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

3- अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

यह भी अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/ नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन/विखण्डन(समाप्त) किया जाना हो, उनका यथाप्रक्रिया समायन्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। यदि किन्हीं नियमों/ अधिसूचनाओं आदि का संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी) में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यवाही समय से की जा सके। साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराने हेतु कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी करने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,
कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

Pricing of C.L. (Spiced) (42.8% v/v) for the year 2018-19			
S.No.	**Item**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	
1	Cost of liquor	1.82	**9.12**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.00	
3	Packing charges	0.52	
4	Track and Trace application	0.15	
5	Ex Factory price (without duty)	**4.49**	
6	Excise Duty	52.79	**263.94**
7	Ex Factory price (with duty)	**57.28**	
8	Interest on Ex Factory price with duty for four weeks @ 6%	0.26	
9	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty)	0.48	
10	Ex Distillery Price (with duty)	**58.02**	
11	Freight	0.55	**2.75**
12	Godown Expenses	0.31	**1.53**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)	0.15	
14	Incidence of wholesale Licence Fee	0.21	**1.07**
15	Wholesale Cost Price	**59.24**	
16	Profit @ 2.5% of wholesale cost price without duty	0.16	
17	Interest on duty for one week @ 6%	0.06	
18	Optimal Wholesale price	59.46	
19	**MWP**	**59.46**	
20	Wholesaler's margin	1.44	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee	6.66	**33.29**
22	Retailer's profit and expenses	6.25	**31.26**
23	Optimum margin for retailer	12.91	
24	Optimum Retail Price	72.37	
25	**MRP**	**75.00**	
26	**Additional Consideration Fees**	**2.63**	
27	Retailer's margin	12.91	
28	Retailer's margin per litre	64.55	
29	Retail Price of liquor per ml	0.38	
30	% of Excise revenue in Retail price	83.05	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Pricing of C.L. (Spiced) (36.0% v/v) for the year 2018-19

S.No.	Item	Qty. (in ml)	Rate per B.L.
		200	
1	Cost of liquor	1.54	**7.69**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.00	
3	Packing charges	0.52	
4	Track and Trace application	0.15	
5	Ex Factory price (without duty)	**4.21**	
6	Excise Duty	44.40	**222.00**
7	Ex Factory price (with duty)	**48.61**	
8	Interest on Ex Factory price with duty for four weeks @ 6%	0.22	
9	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty)	0.44	
10	Ex Distillery Price (with duty)	**49.27**	
11	Freight	0.55	**2.75**
12	Godown Expenses	0.31	**1.53**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)	0.12	
14	Incidence of wholesale Licence Fee	0.18	**0.90**
15	Wholesale Cost Price	**50.43**	
16	Profit @ 2.5% of wholesale cost price without duty	0.15	
17	Interest on duty for one week @ 6%	0.05	
18	Optimal Wholesale price	50.63	
19	**MWP**	**50.63**	
20	Wholesaler's margin	1.36	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee	5.60	**28.00**
22	Retailer's profit and expenses	5.26	**26.29**
23	Optimum margin for retailer	10.86	
24	Optimum Retail Price	61.49	
25	**MRP**	**65.00**	
26	**Additional Consideration Fees**	**3.51**	
27	Retailer's margin	10.86	
28	Retailer's margin per litre	54.30	
29	Retail Price of liquor per ml	0.33	
30	% of Excise revenue in Retail price	82.60	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Pricing of C.L. (Spiced) (25% v/v) for the year 2018-19			
S.No.	**Item**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	
1	Cost of liquor	1.08	**5.39**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.00	
3	Packing charges	0.52	
4	Track and Trace application	0.15	
5	Ex Factory price (without duty)	**3.75**	
6	Excise Duty	30.83	**154.17**
7	Ex Factory price (with duty)	**34.58**	
8	Interest on Ex Factory price with duty for four weeks @ 6%	0.16	
9	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty)	0.39	
10	Ex Distillery Price (with duty)	**35.13**	
11	Freight	0.55	**2.75**
12	Godown Expenses	0.31	**1.53**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)	0.09	
14	Incidence of wholesale Licence Fee	0.13	**0.63**
15	Wholesale Cost Price	**36.21**	
16	Profit @ 2.5% of wholesale cost price without duty	0.13	
17	Interest on duty for one week @ 6%	0.04	
18	Optimal Wholesale price	36.38	
19	**MWP**	**36.38**	
20	Wholesaler's margin	1.25	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee	3.89	**19.44**
22	Retailer's profit and expenses	3.65	**18.26**
23	Optimum margin for retailer	7.54	
24	Optimum Retail Price	43.92	
25	**MRP**	**45.00**	
26	**Additional Consideration Fees**	**1.08**	
27	Retailer's margin	7.54	
28	Retailer's margin per litre	37.70	
29	Retail Price of liquor per ml	0.23	
30	% of Excise revenue in Retail price	79.84	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Pricing of C.L. (Plain) (25% v/v) for the year 2018-19			
S.No.	**Item**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	
1	Cost of liquor	1.04	**5.18**
2	Bottling, Labeling & Capsuling	2.00	
3	Packing charges	0.52	
4	Track and Trace application	0.15	
5	Ex Factory price (without duty)	**3.71**	
6	Excise Duty	30.83	**154.17**
7	Ex Factory price (with duty)	**34.54**	
8	Interest on Ex Factory price with duty for four weeks @ 6%	0.16	
9	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty)	0.39	
10	Ex Distillery Price (with duty)	**35.09**	
11	Freight	0.55	**2.75**
12	Godown Expenses	0.31	**1.53**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)	0.09	
14	Incidence of wholesale Licence Fee	0.13	**0.63**
15	Wholesale Cost Price	**36.17**	
16	Profit @ 2.5% of wholesale cost price without duty	0.13	
17	Interest on duty for one week @ 6%	0.04	
18	Optimal Wholesale price	36.34	
19	**MWP**	**36.34**	
20	Wholesaler's margin	1.25	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee	3.89	**19.44**
22	Retailer's profit and expenses	3.65	**18.26**
23	Optimum margin for retailer	7.54	
24	Optimum Retail Price	43.88	
25	**MRP**	**45.00**	
26	**Additional Consideration Fees**	**1.12**	
27	Retailer's margin	7.54	
28	Retailer's margin per litre	37.70	
29	Retail Price of liquor per ml	0.23	
30	% of Excise revenue in Retail price	79.93	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।